संख्या- 129 /2019 /1316 /चार-2019

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 19 अगस्त, 2019**

विषय:- संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के योजनान्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में संग्रहालय निर्माण हेतु राज्यांश की धनराशि की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 983/उ0प्र0सं0नि0-5(67)/2018 विविध, दिनांक 24 अक्टूबर, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में केन्द्र सरकार की योजनान्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद परिसर में स्थित संग्रहालय के निर्माण हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 26.22 लाख में से राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में 20 प्रतिशत धनराशि रू0 5,24,400/- के विरूद्ध 50 प्रतिशत धनराशि रू0 2,62,200/- (रूपये दो लाख बहसठ हजार दो सौ मात्र) की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

1- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और स्वीकृत मदों पर ही व्यय की जायेगी, अन्य मदों अथवा व्यय की नई मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी और स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जायेगा।

2- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

3- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 , दिनांक 22 मार्च, 2019 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/ उपयोग नियामानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

6- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-92- के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, 106 संग्रहालय-12- मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संग्रहालय के कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य मद में उपलब्ध धनराशि से वहन की जायेगी।

7- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7- 630 /दस-2019 दिनांक 09 अगस्त, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिशिर)
विशेष सचिव

संख्या- 123 /2019/1316 /चार-2019तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. रजिस्ट्रार (लेखा) , मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद बेंच इलाहाबाद।
4. आहरण वित्तरण अधिकारी, राज्य संग्रहालय, लखनऊ
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।